

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम।

दिनांक - 06.04.2021

- सूचना -

माननीय न्यायाधिपतिगण (सेवानिवृत्त) एवं परिवारजन।

न्यायिक अधिकारीगण (सेवानिवृत्त अधिकारियों सहित) एवं परिवारजन।

अधिवक्तागण, क्लर्क एवं परिवारजन।

न्यायिक कर्मचारीगण (सेवानिवृत्त सहित) एवं परिवारजन।

भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के आदेश क्रमांक D.O.No.1940407/2020/Imm. Dated 03-04-2021 के अनुसार दिनांक 01 अप्रैल 2021 से 45 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले सभी व्यक्तियों को टीकाकरण के लिये पात्र माना है, जिनका टीकाकरण केवल आधार कार्ड एवं मोबाईल नंबर के आधार पर ही किया जायेगा। इस संबंध में आप से आग्रह है कि 45 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले सभी व्यक्ति टीकाकरण केन्द्र पर उपस्थित होकर टीकाकरण करवायें ताकि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके तथा टीकाकरण का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार भी करें जिससे कोरोना महामारी से बचा जा सके।

टीकाकरण की सुविधा राजकीय अवकाशों को छोड़कर प्रातः 10 बजे से सायं 05 बजे तक निम्न केन्द्रों पर उपलब्ध है :-

1. राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिन्धी कोलोनी, बनीपार्क, जयपुर।

सम्पर्क सूत्र :- डॉ० शिल्पी गोयल -7568083471
डॉ० राकेश मिश्रा -9983755569

2. सवाई मान सिंह चिकित्सालय परिसर, धन्वन्तरि ओपीडी की पांचवी मंजिल

सम्पर्क सूत्र :- डॉ० गोवर्धन मीणा(प्रभारी) -9414042908
डॉ० अभिषेक मिश्रा -7737644488

नोडल ऑफिसर,
कोरोना प्रबन्धन,
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
क्रम -8, जयपुर महानगर प्रथम

1. अध्यक्ष/सचिव, दी बार एसोसियेशन, बनीपार्क, जयपुर।

2. अध्यक्ष, राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला शाखा, जयपुर।

3. सिस्टम ऑफिसर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

4. नोटिस बोर्ड, जिला न्यायालय जयपुर महानगर प्रथम।

नोडल ऑफिसर,
कोरोना प्रबन्धन,
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
क्रम -8, जयपुर महानगर प्रथम